प्राक्कथन

संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। 2004–05 से 2011–12 की आठ वर्षों से संबंधित इस प्रतिवेदन में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है।

मार्च 2005 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) को आरंभ किया।

योजना के सर्व–भारत स्वभाव, वित्तीय परिव्यय के आकार और लक्ष्यित लाभार्थियों की संख्या ने इसे एक महत्वाकांक्षी योजना बना दिया। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका।